संख्या-14/2018/1085/62-2-2018-2/3(30)/2017टी0सी0

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 22 मार्च, 2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 व 83 के अधीन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions (Generel Category) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-1300.00 लाख की साख-सीमा को चतुर्थ त्रैमास में निर्गत किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-2406/ल0सिं0/बजट-सी0सी0एल0/2017-18, दिनांक 15.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions (Generel Category) में शासनादेश संख्या-675/62-2-2017-2/3(30)/2017, दिनांक 14.03.2018 द्वारा प्राविधानित धनराशि रू0-9210.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि रू0-942.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83 के अधीन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions (SCP Category) में शासन ने शासनादेश संख्या-674/62-2-2017-2/3(29)/2017, दिनांक 14.03.2018 द्वारा प्राविधानित धनराशि रू0-2000.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि रू0-358.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-1300.00 लाख (रू0- तेरह करोड़ मात्र) की साख-सीमा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-46/दस-2000-24(2)/98, दिनांक 21.02.2000 के प्रस्तर-2(4) के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में जारी करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.02.2000 की शेष शर्ते तथा प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) सी0सी0एल0 का अन्तरण डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) में किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(3) जिस प्रयोजन के लिये सी0सी0एल0 जारी की जायेगी उसी मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी।

(4) सी0सी0एल0 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण कर किसी बैंक/डाकघर खाता, डिपाजिट खाता आदि में नहीं जमा किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत साख-सीमा की धनराशि आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत होगी।

(6) प्रश्नगत साख-सीमा को वर्तमान वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में नियमानुसार प्रत्येक दशा में उपयोग कर लिया जायेगा।

(7) विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सी0सी0एल0 इस प्रकार निर्गत की जाय कि कोषागारों की ई-पेमेन्ट की व्यवस्था के कारण राजकीय लेनदेन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-26/दस-2018, दिनांक 21.03.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1085(1)/62-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. वित्त लेखा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in